छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
मंगलवार, दिनांक 30 अगस्त, 2011
(भाद्रपद-8, शक संवत् 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 08 (कुल 08) प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 23 तारांकित एवं 32 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2.अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

श्री ननकीराम कंवर ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल अध्यादेश, 2011 (क्रमांक 3 सन् 2011) पटल पर रखा।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 (क्रमांक 54 सन् 1948) की धारा 69 की उपधारा (5) के पद (क) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के लेखों का वार्षिक विवरण वर्ष 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 एवं 2006-2007 पटल पर रखा।

4. स्थगन प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष द्वारा जिला अंबिकापुर, थाना चांदो, ग्राम करचा की 14 वर्षीय लड़की के साथ अनाचार कर हत्या किये जाने संबंधी 33 सदस्यों की ओर से प्राप्त स्थगन सूचनाओं में से सर्वप्रथम प्राप्त श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य की सूचना पढ़ी गई।

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा प्रारंभ की।
निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-
श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा प्रकरण की न्यायिक जांच के बिंदुओं की जानकारी देने हेतु आसंदी से आग्रह किया गया।
आसंदी के निर्देश पर श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री द्वारा जांच के बिंदुओं की जानकारी सदन को दी गई।

सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, धर्मजीत सिंह,

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

डा.प्रेमसाय सिंह टेकाम,

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा पूर्ण होने तक
सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

डा. (श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री अग्नि चंद्राकर, लखमा कवासी, अमरजीत भगत, श्रीमती अंबिका मरकाम एवं श्री रविन्द्र चौबे।

माननीय अध्यक्ष ने माननीय सदस्यों के विचार तथा शासन का उत्तर सुनने के पश्चात् स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

(2.06 से 2.37 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

कार्यवाही प्रारंभ होते ही प्रतिपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में आये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रतिपक्ष के सदस्यों के गर्भगृह में आने पर कथन किया कि आसंदी द्वारा स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य करने के पश्चात विषय स्वमेव समाप्त हो गया है। प्रतिपक्ष का गर्भगृह में आना संसदीय मर्यादाओं के विपरीत है।

माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से आग्रह किया कि विषय समाप्त होने के पश्चात गर्भगृह में आने की नई परंपरा न डालें। यह संसदीय परंपराओं के अधीन नहीं है।

5. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

सर्वश्री रविन्द्र चौबे(नेता प्रतिपक्ष), (डॉ.) प्रेमसाय सिंह टेकाम, टी.एस.सिंहदेव, अमरजीत भगत, ह्दयराम राठिया, (डॉ.) शक्राजीत नायक, श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, सर्वश्री नंदकुमार पटेल, बोधराम कंवर, धर्मजीत सिंह, महंत श्री रामसुदंर दास, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, परेश बागबाहरा, अग्नि चंद्राकर, (डॉ.) शिवकुमार डहरिया, कुलदीप सिंह जुनेजा, गुरू रुद्र कुमार, अमितेश शुक्ल, लेखराम साहू, गुरुमुख सिंह होरा, ताम्रध्वज साहू, भोलाराम साहू, शिवराज सिंह उसारे, लखमा कवासी, भजन सिंह निरंकारी, सौरभ सिंह।

6. निलंबन अवधि की समाप्ति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने नियम 250 (1) के अंतर्गत निलंबित सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की एवं सदन में उपस्थित होकर सभा की शेष कार्यवाही में भाग लेने का आग्रह किया।

7. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री अजीत जोगी, रविन्द्र चौबे, डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, सदस्य (अनुपस्थित) - सूचना प्रस्तुत नहीं हुई।

(2) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य (अनुपस्थित) - सूचना प्रस्तुत नहीं हुई।

8. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

श्री दीपक कुमार पटेल, सदस्य ने मनेन्द्रगढ़ को जिला बनाये जाने संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी।

9. वर्ष 2011-2012 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2011-2012 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया ।

माननीय अध्यक्ष ने इस अनुपूरक अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 06 सितम्बर, 2011 की तिथि निर्धारित की ।

10. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत कराये जा रहे कार्यों में व्याप्त अनियमितताएं

श्री अजीत जोगी, सदस्य (अनुपस्थित)

माननीय अध्यक्ष द्वारा पुनः प्रतिपक्ष के सदस्यों से सभा की शेष कार्यवाही में भाग लेने का आग्रह किया।

अपराह्न 2.50 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनाँक 06 सितम्बर, 2011 (भाद्रपद 15, शक संवत् 1933) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा